प्राथमिकता

संख्या–503/43–2–2008

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक : 21 मई 2008,

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार अभिलेखों को अद्यतन किया जाना और उनका समुचित रख–रखाव।

महोदय,

उक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या–22) अधिनियम के 120 वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से जम्मू –कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रवृत्त हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा–4 (1) (क) में सभी लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा ऐसी सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तयुक्ति समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सकें। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा सुशासन पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है। सुशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शी शासन। एक पारदर्शी शासन वह है जो कि जन सामान्य से कुछ नही

छिपाता। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक क्रान्तिकारी कदम हैं। आप सहमत होंगे कि किसी विधि का पारण ही मात्र पर्याप्त नही है। अपितु आवश्यकता इस बात की है कि उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू किया जाये और अधिनियम की भावना का लेटर और स्प्रिरिट में पालन किया जाये। हमारी सूचना प्रणाली में अभिलेखों के रख–रखाव के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना सबसे कमजोर कडी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाये और आधारभूत संरचना में सुधार लाया जाये।

चूँकि अभिलेखों का रख–रखाब एवं अद्यतन किया जाना एक सतत प्रकिया है जिसका प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार आधारभूत संरचना में सुधार करना और आवश्यक मैनुअल तैयार करना भी सतत प्रकियाएं हैं जो सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

इस स्थिति में आपसे अनुरोध है कि कृपया इन निर्देशों को भली–भाति सर्वसम्बन्धित की जानकारी में लाकर यह व्यवस्था सुनिश्चत करने/कराने का कष्ट करें कि समस्त लोक प्राधिकारी अपने संसाधनों से अपने अभिलेखों को अद्यतन करें उनकी आधारभूत संरचना में सुधार लाये और आवश्यक मैनुअल तैयार करें।

कृपया उक्त निर्देशों के कठोर कार्यान्वयन के सम्बन्ध में हर स्तर पर उचित कार्यवाही सुनिश्चत की जाये तथा इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए की गयी कार्यवाही से अवगत भी कराया जाये।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्यसचिव।